

मानवीय राजमंजी महोदय श्री ओटायमजी देवली सी. ज. न. यु. 1412
 कार्यक्रम केम ग्राम केयापत्र-उद्यमण दिनांक 23/05/2024
 खाता दुरस्ती प्रार्थना-पत्र
 (राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय,
 शिवगंज

प्रार्थी वनाम
 नैमाराम पुत्र धानाजी
 जाति- कुम्हार

अप्रार्थी
 1. तहसीलदार शिवगंज
 2. मू-अभिलेख निरीक्षक उद्यमण
 3. पटवारी पटवार हल्का उद्यमण

विषय:-भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एलआरएक्ट के तहत राजस्व रेकॉर्ड दुरस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम उद्यमण की जमाबंदी संवत् 2073-2076
 खाता सं० 469 में तहसील ऑनलाईन होने से निम्नानुसार हुई त्रुटि को सही
 करना फरमावे।
 संबंध सं० 476, 477, 478, 479, 480 से मेरा नाम नैमाराम पुत्र धानाजी
 का था। इस खाने में बरखा होने पर मेरा नाम स्वयंसे 476/2,
 477, 478/3, 478/6 दर्ज हुए। जिस जमाबंदी आस्ता में मेरे
 पर मेरा नाम नैमाराम पुत्र धानाजी ही हो गया। जो
 गलत है जिस नैमाराम पुत्र धानाजी सही करे या आदेश
 फरमावे।

अतः उक्त आदेश दुरस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

संलग्न:-जमाबंदी, पूर्व व नवीन, नक्शा,

भवदीय,

नैमाराम



रिपोर्ट पटवारी व मूअमिलेख निरीक्षक

भाषी के प्राप्ति पत्र की जांच की गयी। सन 2073-2071 की
में प्राप्ति का नाम नैमाराम पुत्र धानाजी एवं ही उन्तखत में
बेस्ता का नामांतरण 2252 स्वीकृत हुआ। जिसमें नामांतरण में
वर्तमान प्रकीर्ण में नैमाराम पुत्र धानाराम पुत्र था। परन्तु प्रकीर्ण
में नैमाराम पुत्र धानाराम पुत्र ही गपा जो कि गलत दर्ज हो गया।
जिस कारण जहासेदी आब्लाउत ही या धानाजी का नाम नैमाराम पुत्र
धानाजी दर्ज हो गया। इस प्राप्ति का नाम पुनः नैमाराम पुत्र
धानाजी करना उचित होगा।

23/03/2025
म.अ.नि. उपमण

23/03/25
पटवारी उपमण

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार शिवगंज

346
6-6-2025

रिपोर्ट पटवारी ~~उपमण~~ एवं म.अ.नि. उपमण की आधारे
पर नाम उपमण ही जहासेदी के वर्तमान खाता सं. 469 में नैमाराम पुत्र
धानाजी के नाम नैमाराम पुत्र धानाराम करने की अनुमति दी जाती है।

-:आदेश:-

प्रकरण सं०

वनाम

2205.2024
तहसीलदार, शिवगंज

अन्तर्गत धारा 136 भूराजस्व अधिनियम की धारा 1956 के तहत

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक/कोर्ट/2023/
प्रतिलिपि पालगार्थ।

दिनांक

तहसीलदार/उपतहसीलदार शिवगंज/कैलाशनगर